न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 16/90

रामेश्वर आत्मज स्व0 श्री ओमप्रकाश जी जाति माली निवासी ग्राम मानपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. छोटूलाल आत्मज स्व0 श्री देवा जी जाति माली निवासी ग्राम मानपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. राजस्थान सरकार जरिये राजकीय अभिभाषक, कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री आशीष माहेश्वरी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 28.09.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.02.2016 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मानपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा में 06 किता की 5.3400 हैक्टर कृषि भूमि स्थित है । उक्त भूमि प्रार्थी के पिता एवं अप्रार्थी कम 1 के शामलाती खाते एवं कब्जे काश्त की भूमि है । उक्त भूमि में प्रार्थी एवं अप्रार्थी कम 1 1/2 — 1/2 हिस्से सहखातेदार हैं । अप्रार्थी कम 1 उक्त भूमि को बिना विभाजन करवाए बेचान करने पर आमादा है जिसका उसे कोई कानूनन अधिकार नहीं है । यदि दौराने वाद अप्रार्थी कम 1 ने उक्त भूमि को में से किसी विशिष्ट खसरा नम्बरान या विशिष्ट हिस्से, दिशा विशेष को बिना विभाजन कराये बेचान कर दिया गया तो इससे पक्षकारान के मध्य अनावश्यक विवाद बढ जावेगे और प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी ।

3. अतः ताफैसला दावा प्रार्थी के पक्ष में अप्रार्थी कम 1 के विरूद्ध एक अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की पारित की जावे कि अप्रार्थी कम 1 वादग्रस्त आराजी को किसी प्रकार से रहन, विक्रय, हस्तान्तरण करके खुर्द–बुर्द नहीं करे तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद नही करावे तथा ऐसा कृत्य न तो वह स्वयं करे और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावे तथा मौके की वास्तविक यथास्थिति बनाए रखें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ने अपने निर्णय दिनांक 04.02.2016 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा का खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 04.02.2016 से व्यथित होकर प्रार्थी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट कम 1 द्वारा इकबालिया जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को स्वीकार कर जाहिर किया गया था कि अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट कम 1 वादग्रस्त आराजी का हस्तान्तरण नहीं कर रहा है । वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में यदि रेस्पोडेन्ट कम 1 के विरूद्ध किसी तरह के हस्तान्तरण के मामले में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा का खारिज कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.02.2016 निरस्त फरमाया जाकर अप्रार्थी कम 1 रेस्पोडेन्ट को जरिये अस्थायीय निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के विद्धान अभिभाषक ने दौराने बहस अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसमें रेस्पोडेन्ट को किसी विशिष्ट खसरा नम्बर की विशिष्ट दिशा की भूमि को बेचान करने का कोई अधिकार नहीं है । अधीनस्थ न्यायायल में इन्हीं तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया गया था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटिपूर्ण तरीके से प्रार्थना पत्र खारिज किया है । संयुक्त खाते की प्रत्येक इंच भूमि पर प्रत्येक सहखातेदार का बराबर कब्जा माना जाता है । एक सहखातेदार विशेष खसरा नम्बर के विशिष्ट हिस्से को, दिशा विशेष को बिना विभाजन कराये बेचान नहीं कर सकता है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.02.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

8. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2067 से 2070 के अनुसार वादग्रस्त आराजी पक्षकारान के संयुक्त खातेदारी में दर्ज है । अपीलान्ट प्रार्थी का यह कथन है कि रेस्पोडेन्ट किसी विशिष्ट खसरा नम्बर के विशिष्ट हिस्से को, दिशा विशेष को बिना विभाजन कराये बेचान कर रहे हैं जिसके लिए उनको पाबन्द किया जावे । रेस्पोडेन्ट अप्रार्थी ने अपना जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया था जिसमें यह कथन किया है कि दौराने दावा अप्रार्थी कम 1 के विरूद्ध उपरोक्त आराजी को किसी भी तरह से हस्तान्तरित करने के सम्बन्ध में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो अप्रार्थी कम 1 को कोई आपत्ति नहीं है ।

9. वादग्रस्त आराजी पक्षकारान के संयुक्त खातेदारी की भूमि है । एक खातेदार अपने हिस्से की भूमि का तो बेचान कर सकता है परन्तु एक सहखातेदार को किसी विशिष्ट खसरा नम्बर की विशिष्ट दिशा की भूमि को बेचान करने का कोई अधिकार नहीं है ।

10. इन तथ्यों के आधार पर हम अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट को ताफैसला वाद किसी विशिष्ट खसरा नम्बर की विशिष्ट दिशा की भूमि को बेचान नहीं करने हेतु जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.02.2016 निरस्त किया जाता है । अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी ग्राम मानपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा की खाता संख्या नया 06 की खसरा नम्बर 52 की रकबा 0.74 हैक्टर, खसरा नम्बर 54 रकबा 1.46 हैक्टर, खसरा नम्बर 81 रकबा 1.55 हैक्टर, खसरा नम्बर 216/269 रकबा 0.71 हैक्टर, खसरा नम्बर 218 रकबा 0.76 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 218/259 रकबा 0.12 हैक्टर कुल 06 किता की 5.3400 हैक्टर कृषि भूमि के विशिष्ट खसरा नम्बर की विशिष्ट दिशा की भूमि को बेचान अथवा अन्य किसी प्रकार अन्तरण एंव खुर्द–बुर्द नहीं करे ।

12. निर्णय आज दिनांक 28.09.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

28.9.18

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा